A 4/7

# न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– उमर दीन खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 109/2020

महेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां उप तहसील मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

–– अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं।

–– रेस्पोडेन्ट

––

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार मुकन्दगढ मुकदमा उनवानी सरकार बनाम महेशकुमार मु.नं. 25/2018 निर्णय दिनांक 27.02.2020 अ.धारा 91 भू राजस्व अधिनियम

––

उपस्थितः–

1. श्री राजेश कुमार खेदड, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय– अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

## आदेश

दिनांक 22.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील नायब तहसीलदार मुकुन्दगढ के निर्णय दिनांक 27.02.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र स्थगन एवं प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार से है कि अदालत मातहत के समक्ष हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी महेशकुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी घोड़ीवारा कलां ने ग्राम घोड़ीवारा कलां स्थिति सरकारी भूमि ख.नं. 463 कुल रकबा 0.70 है0 किस्म गैर मु0 जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर टिन सैड बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। जबकि अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। इसलिये हल्का पटवारी ने रिपोर्ट गलत प्रस्तुत की है। उक्त भूमि अपीलार्थी के घर के समीप होने के कारण केवल राजनैतिक द्वेषता के चलते अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत आदेश पारित किया। अपीलार्थी का उक्त भूमि कर कब्जा अतिक्रमी की तारीफ में नही आता। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है। जिसके तहत अपीलार्थी को बेदखल नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नहीं मिला। अदालत मातहत के समक्ष समस्त कार्यवाही कानून की मंशा के विपरित जाकर की गई है। इसलिये धारा 91 की कोई बात अपीलार्थी के प्रकरण में लागु नहीं होती। नायब तहसीलदार महोदय ने गलत रूप से 91 की कार्यवाही संस्थित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकन्दगढ का निर्णय दिनाक 27.02.2020 निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के विरूद्ध 91 की कार्यवाही ड्रोप की जावे।

जिला कलक्टर झुंझुनूं

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अदालत मातहत के समक्ष हल्का पटवारी ने गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी ने ग्राम घोड़ीवारा कलां स्थिति सरकारी भूमि ख.नं. 463 कुल रकबा 0.70 है0 किस्म गैर मु0 जोहड़ में से 0.01 है0 भूमि पर टिन सैड बनाकर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। जबकि अपीलार्थी ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि अपीलार्थी के घर के समीप होने के कारण केवल राजनैतिक द्वैषता के चलते अपीलान्ट को नोटिस दिया गया है। धारा 91 की कार्यवाही समरी कार्यवाही है जिसके तहत अपीलार्थी को बेदखल नही किया जा सकता। उक्त प्रकरण में अपीलार्थी को साक्ष्य सबूत व दस्तावेज पेश करने का अवसर भी नहीं मिला। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकन्दगढ का निर्णय दिनाक 27.02.2020 निरस्त किया जाकर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गै0मु0जोहड की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने पक्का टीनशेड बनाकर अतिक्रमण कर रखा है, जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम घोडीवारा कलां स्थित भूमि खसरा नम्बर 463 रकबा 0.70 हैक्टर में से 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ पर अतिक्रमी माना है। अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त विवादित आराजी अपीलान्ट की स्वयं की भूमि के नजदीक है तथा राजनैतिक द्वेषता के चलते उसके विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है। अपीलान्ट ने ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जिससे उसके तर्को को सही माना जा सकें। अतिक्रमित भूमि की किस्म गैर मुमकीन जोहड़ है, जो प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। कानूनन प्रतिबन्धित श्रेणी पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा किये गये कब्जे को वैध नहीं माना जा सकता। अपीलान्ट अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में विफल रहें। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण जांच के बाद नियमानुसार आदेश पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है।

अतः अदालत मातहत के निर्णय की पुष्टि करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड मातहत मय निर्णय की प्रति के प्रेषित हो। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/02/21

(समर दीन खान)
जिला कलक्टर,
झुंझुनू